पत्रांक-नि0ज0शि0- 60/24/2009- 763

(183)

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना

प्रेषक,

सूर्य नारायण दास,
संयुक्त निदेशक (नियोजन) ।

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक- 05/8/09

विषय:- **विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक- 2129 दिनांक- 26-06-2009

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि नियोजनालय निबंधित शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगारों को सीधे नौकरी नहीं देती है बल्कि बेरोजगारों को नौकरी पाने में सहायता प्रदान करती है । सरकारी नौकरी अवर सेवा चयन पर्षद (तृतीय श्रेणी पद के लिए) एवं जिला पदाधिकारी की सूची (चतुर्थवर्गीय पद के लिए) के माध्यम से की जाती है । नियोजक अपने यहाँ की रिक्ति नियोजनालय को अधिसूचित करती है जिसके विरूद्ध नियोजनालय में निबंधित नियोजक द्वारा दिए गए मापदंड के अनुकूल एवं निबंधन के वरीयतानुसार निर्धारित अनुपात में नाम सम्प्रेषित करती है जिनकी अन्तर्वीक्षा / जाँच कर सुयोग्य उम्मीदवार को नियोजन का अवसर दिया जाता है ।

स्व-नियोजन हेतु नियोजनालय में निबंधित बेरोजगारों को जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

उपर्युक्त के आलोक में आवेदनकर्त्ता श्री रानी कुमारी .... को परामर्श दिया जा सकता है कि वे अपने निकटतम नियोजनालय, जिला नियोजनालय, खगड़िया .... में जाकर अपना निबंधन करायें और नियोजनालय के सम्पर्क में रहे जहाँ नियोजन सूचना केन्द्र स्थापित है । इस केन्द्र में व्यावसायिक पुस्तकें, पत्रिकायें एवं समाचार पत्र उपलब्ध है । बेरोजगारों को समय-समय पर व्यावसायिक वार्त्तालाप के माध्यम से नियोजन संबंधी सूचनायें दी जाती है । आवेदक चाहें तो इससे लाभ उठाकर नियोजन अवसर प्राप्त कर सकते हैं ।

विश्वासभाजन

4/8/09

(सूर्य नारायण दास)
संयुक्त निदेशक (नियोजन)
निदेशालय नियोजन, बिहार,पटना ।

04/8/09